International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 15-08-2021; Accepted: 30-08-2021; Published: 15-09-2021
Volume 3, Issue 2, 2021, Page No. 31-37

अनुच्छेद 21 का विस्तृतीकरण भारतीय सर्वोच्च न्यायलय, मूल अधिकार एवं अनुमानित अधिकार

डॉ. अनुराग पांडेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञानं विभाग, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
"संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समस्त नागरिकों के बुनियादी एवं मूल मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में लिखित एवं व्याक्खित विभिन्न मौलिक अधिकार नस्ल, जन्म-स्थान, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव का पूर्णतया निषेध करते हैं, जो देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये समस्त अधिकार विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इन मौलिक अधिकारों की नई व्याख्या करि है और कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा है, न्यायालय ने मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 को विस्तृत किया है। अनुच्छेद 21 के इसी विस्तृतीकरण को अनुमानित अधिकार कहा जाता है जिसमें भारतीय नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पहले से ज्यादा मजबूती दी गई है। प्रस्तुत लेख इन्ही कुछ बिन्दुओ पर प्रकाश डालता है।"

मूलशब्द: अनुच्छेद 21, भारतीय सर्वोच्च न्यायलय, मूल अधिकार, अनुमानित अधिकार

प्रस्तावना

मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान में उल्लिखित ऐसे मूल केंद्र तथा प्रावधान हैं, जिनमें राज्य के नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों में सरकार द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक को प्रस्तुत किया गया है तथा इन प्रावधानों को संविधान के लिए एक आवश्यक तत्व माना गया हैं। इनको भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था ताकि समस्त नागरिको के मूलभूत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा तैयार किया। ब्रिटिश प्रांतों तथा रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया। कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया। उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 मे अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों

के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था। (Basu: 1993. pp. 15-19 & 131-132, Austin: 1999. pp. 59-7411).

मूल अधिकार (Basu: 2003. pp. 34-35 &79-391)

संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।

मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है। वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें। मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है। आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-16 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन विधि आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ

सकारात्मक कार्यवाही के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, कुछ पुरस्कारों जैसे, भारत रत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है क्योंकि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्रप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगं स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, हथियार रखने की स्वतंत्रता, भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रतता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि इत्यादि शामिल हैं। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है।

अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार,(विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में), पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए। संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को शामिल कर लिया। अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। हालांकि, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं। इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बनाया गया है। न्यायालय द्वारा किए गए इन्हीं प्रावधानों को अनुमानित अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जो पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार इसमें शामिल हैं।

संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशय तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनुमोदन किया था। अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित हैं, इनमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना इत्यादि भी प्रतिबंधित किए गए है। हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, को इस अनुच्छेद में प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उन्मूलन के लिए नियम प्रदान करने और बाल श्रमिक को रोजगार देने पर दंड तथा पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते। राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 27 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वाकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी विरासत का संरक्षण करने और उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हैं, ताकि इन अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है, इस प्रकार राज्य को उन पर किसी बाह्य संस्कृति को थोपने से रोकता है। यह राज्य द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है।

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य को, वित्तीय सहायता देते समय किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर कि उसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है, भेदभाव करने से रोकता है। इस अधिकार का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 (जो एक मैलिक अधिकार नहीं है) मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार को जारी करने का अधिकार समस्त प्रदेशों को दिया गया है। निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

भारत में अनुमानित अधिकार (Inferred Rights in India) (Maheshwari, Vidhan: Article 21)

अनुमानित अधिकार संविधान के प्रावधानों की उदार व्याख्या के माध्यम से प्राप्त हुए। उदहारण स्वरुप, रामलीला मदान बनाम भारतीय संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया के कि, नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आता है, इसी प्रकार ओल्गा टेलिस के मामले में, हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीवन शामिल है, और इसलिए, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह ये सुनिश्चित करे कि नागरिकों को अपना व्यापार/नौकरी इत्यादि ठीक से करने का सही माहोल मिल सके एवं वे एक सभ्य और गरिमामयी जीवन व्यतीत कर सकें।

अनुमानित अधिकार मुख्य रूप से वो अधिकार हैं, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन इन अधिकारों को भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की उदार व्याख्या द्वारा लिया गया है। कुछ अनुमानित अधिकार निम्नलिखित हैं:-

1). श्रमिकों के स्वास्थ्य का अधिकार 2). क्रूर सजा के खिलाफ सही आश्रय का अधिकार। 3). गरिमा के साथ जीने का अधिकार। 4). एकान्तता का अधिकार। 5). त्वरित परीक्षण का अधिकार। 6). मजदूरी देने से इनकार करने और श्रमिकों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के विरुद्ध अधिकार।

अनुमानित अधिकार हमेशा प्रवर्तनीय अधिकारों के तहत आते हैं। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में एक ख़ास स्थान रखने वाला एकमात्र प्रावधान है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस अनुच्छेद के तहत पूरे संविधान की व्याख्या की है और निजी स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर कई कानूनों को विभिन्न मामलों में असंवैधानिक घोषित किया। इस अनुच्छेद के तहत अनुमानित अधिकारों में पासपोर्ट जारी करना, अदालत को पी.आई.एल (जनहित याचिका) सम्बंधित पत्र स्वीकार करने का निर्देश देना, विचारणाधीन कैदियों के कल्याण के लिए प्रावधान को शामिल करना इत्यादि शामिल है।

भारत में कुछ महत्वपूर्ण अनुमानित अधिकार

विदेश जाने का अधिकार
गोपनीयता का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
निष्पादन में देरी के खिलाफ अधिकार
आश्रय का अधिकार
आजीविका का अधिकार
स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार
हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार
सार्वजनिक आम फ़ासी के विरुद्ध अधिकार
मेडिकल सहायता एवं डॉक्टरी परामर्श/सहायता का अधिकार

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारत के

संविधान में कई जगह किया गया है एवं सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी कई कानूनी मामलों में व्याख्याएं भी दी हैं। इस अधिकार का मतलब उतना सीमित नहीं है जितना इसे सामान्यतः समझा जाता है, केवल शारीरिक प्रतिबंधों से स्वतंत्रता या कारावास के भीतर बन्धनों से स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ काफी व्यापक है, उदहारणस्वरुप ए के गोपालन बनाम मद्रास मामले में [x], सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में स्थापित अवधारणा 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का उदार दृष्टिकोण लिया। न्यायालय ने कहा कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' एक अलग अवधारणा है जिसमे निश्चय ही वो सब कुछ शामिल होता जो "स्वतंत्रता" में गिना जाता है।

न्यायालय इसकी व्याख्या करते हुए आगे कहता है के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब शारीरिक स्वतंत्रता से अधिक कुछ भी नहीं है, जिसमे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना अथवा उसे किसी झूठे मुकदमे में फ़साना या गिरफ्तार करना इत्यादि शामिल है।

उदहारण के लिए, "मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ" में सर्वोच्च न्यायालय ने "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" शब्द का विस्तार किया ताकि इसे व्यापक अर्थ दिया जा सके। अदालत ने कहा: "अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्त "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक व्यापक आयाम है एवं इसमें वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाने एवं बनाये रखने के लिए दिए जाते हैं। इनमे से कुछ को अलग श्रेणी में एक मौलिक अधिकार के रूप में ज्यादा मजबूती के साथ रखा गया है, इन सभी अधिकारों को अनुच्छेद 19 में विशिष्ट सुरक्षा प्रदान की गयी है। अगला अधिकार गोपनीयता का अधिकार है, गोपनीयता किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति को कहा जा सकता है जो किसी के निजी जीवन से सम्बंधित होती है एवं इसमें किसी भी सरकारी या गैरसरकारी या सामाजिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता।

आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में गोपनीयता के अधिकार ने संवैधानिक स्थिति हासिल की है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा यह "नागरिकों के लिए जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी" के अधिकार में अंतर्निहित' है।

इनके अतिरिक्त अवैध हिरासत के विरुद्ध प्रावधान एवं विदेश जाने का अधिकार कुछ अन्य अनुमानित अधिकार की श्रेणी में आते हैं। वर्ष 1967 में "सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी" (नई दिल्ली) के मामले में पहली बार अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के सन्दर्भ में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति में निहित है।

वहीँ दूसरी तरफ अवैध हिरासत के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया, "जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने सम्बन्धी दिशानिर्देश निर्धारित किए; जो निम्नलिखित हैं:-

a. एक गिरफ्तार व्यक्ति, जो हिरासत में लिया गया है, उसे इस बात का हक होगा के वो अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की एवं जहाँ उसे ले जाया जा रहा है उस जगह की सूचना उन्हें दे सके।
b. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की पूरी जानकारी देगा।
c. पुलिस डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति की एवं जिसे उसने अपनी गिरफ्तारी की सूचना दी है उस व्यक्ति की की एक प्रविष्टि दर्ज करी जायेगी।

"डी. के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत के सभी मामलों में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अदालत ने किसी भी तरह का उत्पीड़न, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का पूर्णतया निषेध किया और इसको अनुच्छेद 21 के दायरे में रखकर व्याख्या की। (D.K. Basu v. West Bengal State: 1997).

इस बात को समझा जाना चाहिए कि मूल अधिकार संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग हैं। सभी अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक-दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यापक, सर्वसमावेशी एवं भविष्योन्मुखी संविधान हमें सौंपा है, इसके साथ ही साथ उन्होंने संविधान की भविष्य की दिशा के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए मूल अधिकारों को देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता के सामंजस्य की संभावनाओ के साथ इसकी व्याख्या की जानी चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इन प्रावधानों का लाभ पहुँच सके और नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

References

1. Austin Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (New Delhi: Oxford University Press), 1999.
2. Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India (15th Edition). New Delhi. Princeton Hall of India), 1993.
3. Basu Durga Das. Shorter Constitution of India (13th

Edition) (Nagpur: Wadhwa and co.), 2003.
4. Maheshwari, Vidhan, "Article 21 of The Constitution of India - The Expanding Horizons", Accessed Via: http://www.legalserviceindia.com/articles/art222.htm. Dated. 28/4/2018.
5. Basu DK vs West Bengal State. 1. SCC. 416, 1997.